कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,सामाजिक वानिकी, सरयू वृत्त, अयोध्या।
पत्रांक 1346 /14–10 (अम्बेडकरनगर) दिनांक,अयोध्या, नवम्बर 04/2020।

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सा0वा0, प्रभाग, जौनपुर।

विषयः– उत्तर रेलवे द्वारा जफराबाद–अकबरपुर रेलमार्ग दोहरीकरण में जनपद–जौनपुर में जफराबाद–अकबरपुर रेलमार्ग किमी0 सं0–823.250 से 874.355 तक प्रभावित 34.3636 हे0 संरक्षित भूमि जनपद–सुल्तानपुर में किमी0 874.355 से 884.545 तक प्रभावित 7.3816 हे0 संरक्षित भूमि तथा जनपद–अम्बेडकरनगर में किमी0 884.545 से 906.780 तक 15.5496 हे0 संरक्षित भूमि कुल प्रभावित संरक्षित भूमि 57.2948 हे0 का समेकित भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक–1525/14–16 दिनांक 29–10–2020.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग अम्बेडकरनगर ने अपने कार्यालय पत्रांक 1040/14–9 दिनांक 03–11–2020 द्वारा (जो इस कार्यालय को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित है) लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। आपत्तियों का विवरण निम्न प्रकार हैः–

बिन्दु संख्या	आपत्ति	निराकरण
4	क्रास सेक्शन आफ प्रपोज्ड डबलिंग ट्रैक प्रभागीय निदेशक, अम्बेडकरनगर व सुल्तानपुर द्वारा प्रमाणित नही है।	इस वन प्रभाग द्वारा क्रास सेक्शन आफ प्रपोज्ड डबलिंग ट्रैक प्रमाणित कर दिया गया है।
6	अम्बेडकरनगर के ऑनलाइन पार्ट II व ऑफलाइन पार्ट II में 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र में भिन्नता है।	ऑनलाइन पार्ट II व ऑफलाइन पार्ट II में 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र कुल संरक्षित वन भूमि 48.84564 हे0 है, जिसे आनलाइन में संशोधित कर दिया गया है।
7	अम्बेडकरनगर में मामलों की संख्या में ऑनलाइन–II व आफलाइन–II में भिन्नता है।	ममलों की संख्या 20 है, जिसको ऑनलाइन पार्ट II में संशोधित कर दिया गया है।

भवदीय,
4/11/20

(डा0 अनिरूद्ध पाण्डेय)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
सा0 वा0 ,सरयू क्षेत्र,अयोध्या।

पृ0सं0 /उक्त दिनांक

प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग अम्बेडकरनगर को को उनके कार्यालय पत्रांक 1040/14–9, दिनांक 03–11–2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे कृपया यह सुनिश्चित करें कि जब तक उक्त गैर वानिकी कार्य कराये जाने की विधिवत स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त न हो जाय, तब तक किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य कदापि न होने दें।

(डा0 अनिरूद्ध पाण्डेय)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
सा0 वा0 ,सरयू क्षेत्र,अयोध्या।

D/man 2016-17 656